

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. १(3)न्याय/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक

31.05.16

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
अलवर, डूंगरपुर, कोटा द्वितीय,
मेड़ता, पाली, राजसमन्द, सिरोही,
उदयपुर द्वितीय, धौलपुर, बाडमेर,
झालावाड, भरतपुर।

विषय:—डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12145/2011 जागो जनता सोसाईटी
बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।

सन्दर्भ:—आपका पत्रांक III/(1)/बी/बजट/2015-16/पार्ट/01 दिनांक
01.04.2016 एवं इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 23.05.2016
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12145/2011 जागो
जनता सोसाईटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के क्रम में बजट मद
2014-00-116-MACT-01-00-05-OE (NP) के अन्तर्गत 15 मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण न्यायालयों को फोटो स्टेट मशीन क्रय किये जाने हेतु विभाग द्वारा वित्त विभाग
की आई.डी. संख्या 331600422 दिनांक 18.05.2016 के क्रम में स्वीकृति जारी की गई
थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 12 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों न्यायालयों हेतु 12
फोटो स्टेट मशीन (प्रति मशीन 1 लाख रुपये) क्रय करने एवं उक्त बजट मद में राशि रु
27.00 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत कर माननीय राज्यपाल महोदय की
स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त क्रय के समय समस्त वित्तीय नियमों की
पालना सुनिश्चित करावें।


उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101602127 दिनांक
30.05.2016 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

sd-
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 12145/2011 जागो जनता
सोसाईटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


31.05.16
संयुक्त शासन सचिव